कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची
वन भवन, डोरण्डा, रांची–834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjhk@jharkhandmail.gov.in

आवश्यक/तुरन्त/
ई–मेल/फैक्स/
वेबसाईट

पत्रांकः 5B/Budget(NP)/Gen. Corres/13(15-16) **दिनांकः**

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं
मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखंड, रांची।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, रांची।
सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
रांची/सिंहभूम, जमशेदपुर/संथाल परगना, दुमका/पलामू, मेदिनीनगर/हजारीबाग/बोकारो।

विषयः **गैर–योजना मद में वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वास्तविक राशि की आवश्यकता के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि गैर–योजना मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए पर्याप्त राशि का आवंटन आपको किया जा चुका है। लेकिन आपके मासिक व्यय प्रतिवेदन में व्यय राशि बहुत ही कम दर्शाया गया है। विशेष रूप से वेतन इकाई में व्ययित राशि कम है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 का पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन भी समय पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसलिए अनुरोध है कि आपके अपने स्थापना के साथ अधीनस्थ स्थापनाओं के मांग राशि को समेकित कर उपशीर्षवार निम्न प्रपत्र में वांछित सूचनायें उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि राशि का आवंटन आपको किया जा सके तथा आवश्यकता होने पर सरकार से राशि की मांग की जा सके:–

क्र0 सं0	*इकाई का नाम*	*प्र0मु0व0सं0, कार्यालय से प्राप्त आवंटन*	*माह नवंबर, 2015 तक का व्यय राशि*	*अतिरिक्त राशि की आवश्यकता*	*वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल राशि की आवश्यकता*
1	2	3	4	5	6

" यात्रा व्यय" मद में यदि लम्बित विपत्रों की मांग है तो संलग्न प्रपत्र में सूचनायें देंगे।

ज्ञात हो कि सभी इकाईयों में उतनी ही राशि की मांग की जाय जिसे 31.03.2016 तक व्यय की जा सके।

साथ हीं यदि किसी इकाई में राशि की बचत होने की संभावना हो तो उस राशि को दिनांक 09.12.2015 तक निश्चित रूप से प्रत्यार्पण करना सुनिश्चित किया जाय।

अनु0–यथो0।

विश्वासभाजन,

ह0/–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, रांची।

ज्ञापांक -3788 **दिनांक** 3.12.15

प्रतिलिपि– **Envis Centre, Ranchi** को वेबसाईट पर PCCF instruction tab में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2/12

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, राँची।

Details of Arear T.A. Bill

Sl. No.	Name of Employee	Period of Journey	Bill Amount	Purpose of Journey	Journey Sanctione Issued by Whom ? (Name of Officer)	Recommendation of Present PCCF/APCCF/RCCF	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8